कार्यालय परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड
कुल्हान, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून।

संख्या– /स0सु0/1–8(333)/ई– 211526/2026 दिनांक जुलाई, 2026

समस्त संभागीय परिवहन अधिकारी,
उत्तराखण्ड।

समस्त सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी,
उत्तराखण्ड।

समस्त परिवहन कर अधिकारी,
उत्तराखण्ड।

विषय–मा0 उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन SUO MOTO WRIT PETITION (CIVIL) No 9 OF 2025 IN RE: PHALODI ACCIDENT VS- NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA OTHERS में पारित आदेश दिनांक 13–04–2026 के अनुपालन किए जाने के संबंध में।

उपरोक्त विषयक मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या– 1086/iii(3)/2026–18 (रिट)/2023/ई–102826 दिनांक 09–07–2026 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या– 1085/iii(3)/2026–18 (रिट)/2023/ई–102826 दिनांक 09–07–2026 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके अन्तर्गत मा0 उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन SUO MOTO WRIT PETITION (CIVIL) No 9 OF 2025 IN RE: PHALODI ACCIDENT VS- NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA OTHERS में पारित आदेश दिनांक 13–04–2026 के बिन्दु 4(ई) एवं 4(एफ) के अनुपालन में निम्न प्रकार **"जिला हाईवे सेफ्टी टास्क फोर्स"** एवं **"हाईवे सर्विलान्स टीम"** का गठन किया गया हैः–

"जिला हाईवे सेफ्टी टास्क फोर्स"

1–सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2–सम्बन्धित जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक	सदस्य
3–सम्बन्धित जनपद/क्षेत्र के सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी	सदस्य
4–नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी (सम्बन्धित नगर निगम/नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत)	सदस्य
5–अधिशासी अभियन्ता (BRO/NHAI/NHAIDCL)	सदस्य
6–अधिशासी अभियन्ता, एन0एच0 पीडब्लू0डी0	सदस्य सचिव

"हाईवे सर्विलान्स टीम"

1–सम्बन्धित क्षेत्र के पुलिस उपाधीक्षक/सम्बन्धित थानाध्यक्ष
2–सम्बन्धित क्षेत्र के सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी/प्रवर्तन अधिकारी

2 – **"जिला हाईवे सेफ्टी टास्क फोर्स"** में परिवहन विभाग के सम्बन्धित क्षेत्र के

सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी को सदस्य नामित किया गया है। जबकि **"हाईवे सर्विलान्स टीम"** में परिवहन विभाग के सम्बन्धित क्षेत्र के सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी/प्रवर्तन अधिकारी को सम्मिलित करते हुए प्रत्येक सर्विलान्स वाहन में परिवहन विभाग द्वारा अनिवार्य रूप से वी0एल0टी0 डिवाईस स्थापित करने के निर्देश दिये गये है।

अतः उपरोक्त कार्यालय ज्ञाप एवं मा0 उच्चतम न्यायालय के सन्दर्भित आदेश की प्रति इस निर्देश के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है कि तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही की आख्या इस कार्यालय को भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संलग्न–यथोक्त।

Digitally signed by
RAJEEV KUMAR MEHRA
Date: 18-07-2026
17:03:38

(राजीव कुमार मेहरा)
संयुक्त परिवहन आयुक्त
उत्तराखण्ड।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– सचिव, परिवहन/गृह/शहरी विकास/लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड शासन।
2– वरिष्ठ वैयक्तिक अधिकारी, परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड को आयुक्त महोदय के संज्ञानार्थ।
3– पुलिस महानिरीक्षक/निदेशक यातायात, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4– समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5– मुख्यालय के समस्त अधिकारीगण।

(राजीव कुमार मेहरा)
संयुक्त परिवहन आयुक्त
उत्तराखण्ड।

उत्तराखण्ड शासन
लोक निर्माण अनुभाग–03
संख्या– 1086/III(3)/2026- 18(रिट)/2023/ E.No.- 102826
देहरादून : दिनांक 09 जुलाई, 2026

कार्यालय ज्ञाप

मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में विचाराधीन SUO MOTO WRIT PETITION (CIVIL) N 9 OF 2025 IN RE: 'PHALODI ACCIDENT VS. NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA OTHERS' में मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.04.2026 के **बिन्दु संख्या–4-(e)** के अनुपालन में **जिला हाईवे सेफ्टी टास्क फोर्स** का निम्नानुसार गठन किया जाता है:–

1– संबंधित जनपद के जिलाधिकारी	–	अध्यक्ष।
2– संबंधित जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक	–	सदस्य।
3– संबंधित जनपद/क्षेत्र के सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी	–	सदस्य।
4– नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी (संबंधित नगर निगम/नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत)	–	सदस्य।
5– अधिशासी अभियन्ता (BRO/NHI/NHAIDCL)	–	सदस्य।
6– अधिशासी अभियन्ता, एन0एच0, पीडब्लू0डी0	–	सदस्य–सचिव।

I. उक्त टास्कफोर्स मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.04.2026 के अनुपालन में राष्ट्रीय राजमार्गों से अतिक्रमण को समयबद्ध रूप से हटाना सुनिश्चित करेगी, इस हेतु संबंधित जिले के जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक सामुहिक रूप से उत्तरदायी होंगे।

II. टास्कफोर्स पाक्षिक आधार पर बैठक आहूत करेगी तथा ऐसी बैठकों की कार्यवाही संबंधी कार्यवृत्त व्यवस्थित रखना सुनिश्चित करेगी।

Digitally signed by
Anand Bardhan
Date: 07-07-2026
13:00:28
(आनन्द बर्द्धन)
मुख्य सचिव।

संख्या– /III(3)/2026-18(रिट)/2023, तददिनांकित।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

(1) प्रमुख सचिव/सचिव, गृह/परिवहन/शहरी विकास/आवास/राजस्व/खाद्य/पंचायती राज/ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन।
(2) पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड।
(3) आयुक्त गढ़वाल/कुंमाऊ मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
(4) आयुक्त परिवहन, उत्तराखण्ड, देहरादून।
(5) समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
(6) समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, उत्तराखण्ड।

(7) प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
(8) क्षेत्रीय अधिकारी, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH), क्षेत्रीय कार्यालय– देहरादून।
(9) मुख्य अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
(10) मुख्य अभियन्ता, बी0आर0ओ0 (शिवालिक / हीरक परियोजना)।
(11) क्षेत्रीय अधिकारी, एन0एच0ए0आई0, क्षेत्रीय कार्यालय– देहरादून।
(12) क्षेत्रीय अधिकारी, एन0एच0आई0डी0सी0एल0, क्षेत्रीय कार्यालय– देहरादून।
(13) गार्ड फाईल।

Digitally signed by
Pankaj Kumar Pandey
Date: 09-07-2026
17:04:28

(डॉ0 पंकज कुमार पाण्डेय)
सचिव।